

LOCAL COMPLAINTS COMMITTEE GURGAON

SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE ACT, 2013

(PREVENT, PROHIBITION & REDRESSAL)

Vikas Sadan, 1st Floor, Gurgaon - 122001. Ph. : 0124-2332363

Ref. No. 46/LCC

Dated. 28/5/2018

Report be sent to
all concerned.

सेवा में

अतिरिक्त उपायुक्त
गुरुग्राम।

विषय: Complaint of Sexual Harassment at workplace
and [redacted].

उपर्युक्त विषय में दिनांक 10.11.2017 को [redacted] ad. [redacted] g. Vatika Towers, Sector-54, Golf Course Road, Gurugram कम्पनी की आई0सी0सी0 द्वारा शिकायत प्राप्त हुई, जो कि भावना तिवारी से सम्बन्धित है। दिनांक 24.11.2017 को शिकायतकर्ता [redacted] प्रत्यक्ष रूप से कार्यालय में उपस्थित हुई व अपनी यौन उत्पीड़न की शिकायत एल0सी0सी0 कार्यालय में जमा करवाई। उक्त शिकायत में कम्पनी के Managing Director [redacted] व HR Manager [redacted] का पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं।

शिकायतकर्ता की शिकायत को यौन उत्पीड़न की शिकायत मानते हुए एल0सी0सी0 SHWW Act, 2013 के प्रावधान नं0 9 के तहत लोकल कम्प्लेंट्स कमेटी की अधिकारिता तथा समयावधि पर कानूनी रूप से मान्य करते हुए जांच के लिये स्वीकृत किया व शिकायत पर जांच की, जो कि इस प्रकार है:-

शिकायतकर्ता [redacted] की यौन उत्पीड़न की शिकायत पर विचार-विमर्श करते हुए SHWW Act, 2013 के प्रावधान नं0 11 के तहत परिवादी [redacted] व [redacted] को शिकायत की प्रतिलिपि देने के लिये दिनांक 01.12.2017 को समन (मेल की गई) किया गया, जिसमें उपस्थित होने की तिथि 04.12.2017 रखी गई।

दिनांक 04.12.2017 को प्रतिवादी उपस्थित हुए और उन्हें SHWW Act, 2013 के प्रावधान नं0 11 के तहत शिकायत की प्रतिलिपि उपलब्ध करायी गयी व जांच की अगली तिथि 08.12.2017 रखी गई। दिनांक 08.12.2018 को परिवादी [redacted] व [redacted] ने फोरम के सामने अपना प्रतिवेदन सम्बन्धित कागजात तथा गवाहों के नामों की सूची फोरम के सामने दर्ज करवायी। जांच की अगली तिथि 18.12.2017 रखी गई। इस संबंध में शिकायतकर्ता और परिवादी को मेल व दूरभाष द्वारा जांच की तिथि को सूचना दी गई।

दिनांक 18.12.2017 को परिवादी [redacted] व [redacted] के समय उपस्थित हुए व लिखित में अपना बयान दर्ज करवाया। शिकायतकर्ता [redacted] भी जांच के समय उपस्थित हुई व लिखित में अपना बयान दर्ज किया। परिवादी के गवाहों की सूची पर अवलोकन करके दिनांक 22.12.2017 को गवाहों को उपस्थित करने का निर्देश दिया गया।

दिनांक 22.12.2017 को परिवादी पक्ष के दस गवाहों की सूची फोरम को दी, जिनके पांच गवाह प्रस्तुत हुए और लिखित में अपना बयान शिकायत के संबंध में दर्ज कराया। जांच की अगली नियमित तिथि 08.01.2018 को परिवादी के पांच गवाह प्रस्तुत हुए और लिखित में अपना बयान शिकायत के संबंध में दर्ज कराया।

दिनांक 10.01.2018 को शिकायतकर्ता के गवाहों को दिनांक 19.01.2018 को जांच में उपस्थित होने के लिए मेल किया गया, जिसमें शिकायतकर्ता तो उपस्थित हुईं। लेकिन उनका कोई भी गवाह उपस्थित नहीं हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा Request करने पर जांच की अगली तिथि 24.01.2018 दी गयी। जिसमें शिकायतकर्ता के दो गवाह उपस्थित और लिखित में अपना बयान दर्ज कराया। शिकायतकर्ता का एक गवाह सिंघापुर में है। उसने मेल के माध्यम से अपना बयान एल0सी0सी0 कार्यालय को भेजा। शिकायतकर्ता ने दो गवाह पेश करने के लिए अग्रिम तिथि के लिये फोरम को आवेदन दिया।

शिकायतकर्ता [REDACTED] की ओर से C-W-I, C-W-II, C-W-III, C-W-IV, और C-W-V (पांच) गवाह फोरम के सामने पेश किये। C-W-I ने फोरम के सामने बताया कि परिवारी [REDACTED] शराब पीने के बाद ही कमेंट करते हैं और यह भी कहा कि, "मैंने जो भी बताया वो [REDACTED] ने मुझे बताया था, मेरी उपस्थिति में कभी कोई कमेंट [REDACTED] ने किया"। C-W-II, जो कि कम्पनी के कर्मचारी नहीं है, ने बताया कि [REDACTED] ने मुझे गोया की घटना के बारे में बताया व चैक की बातचीत मेरी उपस्थिति में हुई। यह भी बताया कि [REDACTED] का महिलाओं के प्रति रवैया सभ्य नहीं होता है। C-W-III जो कि सिंघापुर में कार्यरत है, ने अपनी Mail में लिखा है कि यौन उत्पीड़न की घटना के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। C-W-IV, और C-W-V ने भी यौन उत्पीड़न की घटना का जिक्र अपने बयान में नहीं किया है।

उक्त शिकायत के संबंध में परिवारी [REDACTED] व [REDACTED] ने 10 गवाह कमेंटी के सामने पेश किये। सभी गवाहों ने यौन उत्पीड़न की किसी भी घटना का जिक्र अपने बयान में नहीं किया है। कमेंटी यह भी संज्ञान में लाना चाहती है कि शिकायतकर्ता [REDACTED] के दो गवाह परिवारी [REDACTED] और [REDACTED] के भी गवाह हैं।

उपरोक्त दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने के बाद तथा सम्बन्धित तथ्यों पर विचार-विमर्श करने के बाद फोरम निम्न बिन्दु स्पष्ट करना चाहता है:-

1. शिकायतकर्ता द्वारा यौन उत्पीड़न की यह शिकायत पहले कम्पनी की आन्तरिक शिकायत समिति (आई0सी0सी0) को दी गई थी तथा नियमानुसार आई0सी0सी0 द्वारा ही लोकल कम्प्लेंट्स कमेंटी, गुरुग्राम (एल0सी0सी0) को उक्त शिकायत जांच के लिए भेजी गई थी। फोरम ने पाया कि आई0सी0सी0 को दी गई शिकायत में तथा एल0सी0सी0 को दी गई शिकायत में तथ्य समान नहीं हैं, जिससे लगता है कि या तो आई0सी0सी0 को गुमराह करने की कोशिश की गई या एल0सी0सी0 को गलत जानकारी दी गई है।
2. C-W-II ने अपने बयान में शिकायतकर्ता के पक्ष में जानकारी दी है, परन्तु फोरम ने पाया है कि कम्पनी के कार्यप्रणाली के तहत [REDACTED] के पास जो कार्य कम्पनी द्वारा सौंपा गया था, वही C-W-II को व्यावसायिक लाभ का अवसर मिलता था, इसलिये फोरम इस गवाह को **Interesting witness** मानती है।
3. शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोप को परिवारी उनके गवाह के आने से रोक रहा है, जांच करने पर गलत पाया गया।
4. मौखिक रूप से गलत शब्दों को इस्तेमाल करने का, जो आरोप लगाये गये हैं। जांच में पाया गया है कि वे शब्द अन्य लोगों की मौजूदगी में कहे गये थे तथा सामूहिक बातचीत का हिस्सा थे। इस बात की पुष्टि गवाहों द्वारा फोरम के सामने हुई है। इसके अलावा शिकायतकर्ता की शिकायत में यौन उत्पीड़न की, जो घटनाये वर्णित की गई है। उनमें काफी लम्बा अन्तराल है लम्बित यौन उत्पीड़न की प्रक्रिया का इस तरह पाया जाना फोरम को स्वाभाविक नहीं लगता।

जांच के दौरान फोरम ने पाया कि शिकायतकर्ता परिवारी के साथ यात्रा भी करती थी, परन्तु कभी किसी ऐसी घटना का जिक्र फोरम के सामने नहीं आया, जो कि यौन उत्पीड़न से संबंधित हो तथा यात्रा के दौरान हुई हो, इस विषय को भी फोरम अस्वाभाविक मानती है।

अतः फोरम ने अपनी जांच में पाया है कि [REDACTED] जो यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करायी है। वह योजनाबद्ध तरीके से की है। अतः कमेटी सिफारिश करती है कि जिला अधिकारी महोदय का निर्देश युक्त एक चेतावनी वादी को जारी किया जाये, जिससे वह भविष्य में इस प्रकार कानून का दुरुपयोग करने का साहस न करे। अतः कमेटी परिवारी [REDACTED] और [REDACTED] ना पर लगाये गये यौन उत्पीड़न के आरोपों से मुक्त किये जाने की सिफारिश करती है तथा अग्रिम कार्यवाही के लिये SHWW Act, 2013 के प्रावधान नं० 13 के अनुसार जांच रिपोर्ट जिला अधिकारी महोदय को प्रेषित है।

20 मई 2018
23.5.18
चेयरपर्सन,
लोकल कम्प्लेंट्स कमेटी,
जिला गुरुग्राम।

लोकल कम्प्लेंट्स कमेटी, जिला गुरुग्राम के सदस्यों के नाम

- ① नाम श्री. सुनील कुमार शर्मा (अध्यक्ष) [Signature] हस्ताक्षर
- ② RASHI ADV. (Rejni Adv.)